उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,
गुरूकुल कांगड़ी, हरिद्वार

दूरभाष संख्या– (01334) 244143, 242331,242332

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) परीक्षा–2013
विज्ञापन संख्या – ए–5/ई–1/2013–14
विज्ञापन प्रकाशन की तिथि – 12 सितम्बर, 2013

ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि– 09 अक्टूबर, 2013

परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि– 11 अक्टूबर, 2013

विस्तृत विज्ञापन आयोग की वेबसाइट–**www. ukpsc.gov.in** पर देखा जा सकता है।

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1– अभ्यर्थी अपने उर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट् याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0(एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।

2– अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह आवेदन पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 09 अक्टूबर, 2013 तक अनिवार्य शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।

3– फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

4– आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु, वैकल्पिक विषय एवं परीक्षा केन्द्र आदि में किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6– एक अभ्यर्थी के नाम से एक से अधिक आवेदन पत्र कदापि स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

7– आवेदन पत्र भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही–सही भरें।

8– सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन तथा पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट– **www.ukpsc.gov.in** पर उपलब्ध है

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा लोक निर्माण विभाग में ''**सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा)**'' के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र (Online Application) आमंत्रित किये जाते हैं।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ''**सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) परीक्षा–2013**'' के माध्यम से उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु हरिद्वार व हल्द्वानी स्थित परीक्षा केन्द्रों पर लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों व लिखित परीक्षा की तिथि की सूचना पृथक से वेबसाइट के माध्यम से दी जाएगी व अर्ह अभ्यर्थी वेबसाइट से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे,

परन्तु आयोग आवेदन पत्रों की संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सीधे साक्षात्कार के माध्यम से भी चयन कार्यवाही सम्पादित कर सकता है।

1. **रिक्तियों की संख्या** : रिक्तियों की कुल संख्या **04** है। रिक्तियों की यह संख्या बढ़ायी या घटायी जा़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पदनाम	पदों की संख्या	श्रेणीवार पदों का विवरण	श्रेणीवार पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण उप श्रेणी के अन्तर्गत पदों की संख्या						
						उ0म0	वि0खि0	डी0एफ0 एफ0	पू0सै0	उ0रा0 आन्दो0	पी0एच0	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	2	10	11	
1.	लोक निर्माण विभाग	सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा)	04	सामान्य	03	01	–	–	–	–	–	03
				अनु0जाति	01	–	–	–	–	–	–	01
				अनु0जनजाति	–	–	–	–	–	–	–	–
				अ0पि0वर्ग	–	–	–	–	–	–	–	–

2. **पद हेतु शैक्षिक एवं अधिमानी अर्हताएं :–**

क0सं0	विभाग का नाम	पदनाम	अनिवार्य शैक्षिक अर्हता	अधिमानी अर्हता
1.	लोक निर्माण विभाग	**सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा)** Assistant Geologist (Scientific Branch)	भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू–विज्ञान सम्मिलित है, में परास्नातक उपाधि या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि प्राप्त की हो। (Post Graduate degree in Geological Science which includes applied aspect of Geology from a University established by law, or a degree recognized by the Government as equivalent thereto.)	(1) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम् दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, या (2) राष्ट्रीय कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो। (3) सहायक भू–वैज्ञानिक के मामले में भू–विज्ञान, जिसमें व्यावहारिक भू–विज्ञान सम्मिलित है, में पी0–एच0 डी0 प्राप्त कर ली हो या किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी संगठन या संस्थान में भवनों और पुलों के नींव सम्बन्धी कार्यों का भू–विज्ञानी प्रयोगों का तीन वर्ष के शोध का अनुभव प्राप्त कर लिया हो; अन्य बातों के समान हाने पर सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा। **1.** served in the territorial service for a minimum period of two years. **2.** obtained a "B" certificate in National Cadet Corps. **3.** in case of Assistant Geologist, such candidate who has obtained Ph.D in Geo-science, including applied aspect, or who has three years experience of studies related to foundations of building and bridges in any Government and Semi-Government organization be given preference in the matter of direct recruitment shall other things being equal.)

3. राष्ट्रीयता : सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो जो भारत में स्थायी निवास के आशय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या (ग) भारतीय उद्‌भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास के आशय से पाकिस्तान, वर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) के अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक होगा कि वह राज्य सरकार से पात्रता का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले;

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर लें;

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि से आगे सेवा में इस शर्त के अधीन रहते हुए रखा जायेगा कि उसने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली हो।

टिप्पणी :– ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु वह न तो जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त के अधीन रहते हुए अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

4. चरित्र :– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस सम्बन्ध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :– संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

5. वैवाहिक प्रास्थिति :– सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यह कि राज्यपाल किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकते है, यदि उसका यह समाधान हो कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान हैं।

6. शारीरिक स्वस्थता :– किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा कि जब तक कि मानसिक व शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह वित्त हस्तपुस्तिका, खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद्‌ की परीक्षा उत्तीर्ण करे;

परन्तु यह कि पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से चिकित्सा परिषद्‌ की परीक्षा की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

7. वेतनमान:– रू0 15600–39100, ग्रेड पे रू0 5400

8. पद का स्वरूप व पेंशन योजना:– राजपत्रित पद (समूह–'ख')। पेंशन योजना शासनादेश सं0 20/XXII(07)/05 दिनांक 25–10–2005 के अनुसार।

9. आरक्षण : ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, पूर्व सैनिक, विशिष्ट खिलाड़ी, उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/उनके पात्र आश्रित, निःशक्त (विकलांग) तथा महिला श्रेणी के **ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।** ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में इस विज्ञापन के ''परिशिष्ट–2'' में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख **''परिशिष्ट–2''** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण–पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहाँ शपथ–पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहाँ वांछित शपथ–पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर परम्परागत आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न करें।

10. आयु सीमा :–

(1) **लोक निर्माण विभाग में सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) पद हेतु** अभ्यर्थियों को 01 जुलाई, 2013 को न्यूनतम 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए और 35 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात, अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई, 1992 के बाद व 02 जुलाई, 1978 के पूर्व का नहीं होना चाहिए।

(2) **उच्चतम आयु सीमा में छूट :–** विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय–समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार द्वारा प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट देखें।

11. परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम :– विज्ञापन के ''परिशिष्ट–1'' में परीक्षा की योजना को स्पष्ट किया गया है तथा लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा का पाठ्यक्रम भी उल्लिखित किया गया है।

12. आवेदन पत्र का स्वरूप :– सहायक भू–वैज्ञानिक (वैज्ञानिक शाखा) परीक्षा–2013 हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमन्त्रित किये जा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण तिथियां निम्नवत् है :–

ऑनलाइन आवेदन भरने की अन्तिम तिथि	09 अक्टूबर, 2013 (रात्रि 11:59 बजे तक)
परीक्षा शुल्क बैंक में जमा करने की अन्तिम तिथि	11 अक्टूबर, 2013

13. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **www.ukpsc.gov.in** पर जाएं।

(2) वेबसाइट पर "**Examination**" शीर्षक को Click करें एवं लिंक बटन **New User Sign Up** में प्रवेश करें।

(3) लिंक बटन **"New User Sign Up"** के अन्तर्गत अभ्यर्थी को लिंक बटन **New Registration** दिखाई देगा, जिसमें निर्देशानुसार अभ्यर्थी स्वयं से सम्बन्धित प्रविष्टियां भरें, एवं प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँचने के उपरान्त **Submit** करें।

(4) पंजीकरण के उपरान्त अभ्यर्थी को उसके मोबाइल नम्बर/ईमेल पर User Id एवं Registration Number प्राप्त होगा।

(5) पंजीकृत अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने हेतु "**Examination**" शीर्षक के अन्तर्गत लिंक बटन **Sign In** द्वारा प्रवेश करें एवं लिंक बटन **Click Here For Online Application Form** को खोले।

(6) ऑनलाइन आवेदन हेतु **Assistant Geologist (Scientific Branch)** के सम्मुख "**Click Here**" पर जाएं एवं **Continue** करे।

(7) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही–सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(8) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Reset** पर Click करे एवं पुनः समस्त प्रविष्टियां भरे। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Continue** पर Click करें।

(9) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर JPG Format में अपलोड करने होंगे।

(10) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Update** पर Click करे तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर Click करें।

(11) अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग में जमा हो गया। अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर अपने समस्त प्रमाण–पत्रों/अभिलेखों (आरक्षण, शैक्षिक अर्हता एवं बैंक चालान इत्यादि) को संलग्न कर दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को सांय काल 06:00 बजे तक आयोग कार्यालय में किसी भी माध्यम से जमा कर दें अथवा दिनांक 21 अक्टूबर, 2013 को सांय काल 06:00 बजे तक डाक द्वारा आयोग कार्यालय में पहुँच जायें।

(12) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु बैंक चालान की प्रिंटआउट निकाल लें।

(13) आवेदन पत्र भरने के 02 दिन पश्चात् अभ्यर्थी **State Bank Of India (SBI)** की किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। **उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा।**

14. शुल्क :–

(1) अभ्यर्थी को बैंक चालान के माध्यम से निम्नलिखित परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0 सं0	श्रेणी	शुल्क
01	अनारक्षित (सामान्य)	रू0 150/–
02	अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ0बी0सी0)	रू0 150/–
03	अनुसूचित जाति (एस0सी0)	रू0 60/–
04	अनुसूचित जनजाति (एस0टी0)	रू0 60/–
05	शारीरिक रूप से विकलांग	रू0 60/–
06	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
07	पूर्व सैनिक	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
08	महिला	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
09	उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी/आन्दोलनकारी के आश्रित	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार
10	विशिष्ट खिलाड़ी	क्रमांक 1 से 4 तक उल्लिखित अपनी मूल श्रेणी के अनुसार

15. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम नियमावली, 2012 (प्रथम संशोधन–2013) आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) चयन हेतु साक्षात्कार के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में प्राप्त किए जायेंगे। साक्षात्कार के पूर्व/तत्समय आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(4) परीक्षा हेतु तिथि आयोग द्वारा बाद में निर्धारित की जायेगी।

(5) लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा/साक्षात्कार हेतु प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकेंगे। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(6) केवल वही अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिये आहूत किये जायेंगे जो आवेदन पत्रों की संख्या के दृष्टिगत आवश्यकता होने पर आयोजित होने वाली लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग द्वारा सफल घोषित किये जायेंगे।

(7) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार (मौखिक परीक्षा) के पूर्व निर्धारित आवेदन पत्र (जो साक्षात्कार के समय आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर उपलब्ध कराया जाएगा) भरना होगा।

(8) साक्षात्कार के समय प्रस्तुत प्रमाण पत्रों को मूल प्रमाण पत्रों से सत्यापित किया जाएगा। अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने मूल प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे तथा इसी समय अभ्यर्थी को अपने विभागाध्यक्ष अथवा उस संस्था के प्रधान द्वारा, जहाँ उन्होंने अन्तिम शिक्षा पायी हो, अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उसके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करना होगा।

(10) अभ्यर्थी को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी को उत्तर देने के लिए कोई श्रुत लेखक नहीं दिया जाएगा; परन्तु दृष्टिहीन अभ्यर्थियों के लिए श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को प्रत्येक घण्टे के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय अनुमन्य होगा, परन्तु श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(11) गलत उत्तरों के लिए दण्डः– वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्रों में अभ्यर्थी द्वारा दिए गए गलत उत्तरों के लिए दण्ड **(ऋणात्मक मूल्यांकन)** दिया जाएगा :–

(क) प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प उत्तर हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिए गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किए गये अंकों का एक चौथाई दण्ड के रूप में काटा जाएगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा; यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जाएगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(12) **वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जाएगा** और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न एवं सम्बन्धित उत्तर के

सम्बन्ध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जाएगा।

(13) उम्मीदवार प्रश्न पत्रों के उत्तर देते समय केवल भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप (जैसे 1,2,3,4........... आदि) का ही प्रयोग करें।

(14) अभ्यर्थी परीक्षा में केवल नॉन प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग इस प्रतिबन्ध के अधीन कर सकते हैं कि सम्बन्धित प्रश्न–पत्र के निर्देश/नोट में भी इसके प्रयोग की अनुमति का उल्लेख हो।

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर्स, स्कैनर पेन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलेक्ट्रानिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते हुए पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन/पेजर्स, स्कैनर पेन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रानिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें; क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

(16) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित**:– कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करवायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(17) **परीक्षा भवन में आचरण :–** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हाल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर–पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें। ऐसे किसी भी दुराचरण/उल्लंघन के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(18) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**:– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(19) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा बशर्ते कि वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। उम्मीदवार को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसकी उम्मीदवारी आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दी गयी है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन पत्र अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(20) हाईस्कूल प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।

(21) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(22) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन एवं बैंक चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा।

(23) **अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे पूर्णतया यह संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते है, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।**

(24) **आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें, जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क,**

अल्पवयस्क तथा अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। उन्हें विज्ञापन के अन्त में छपे पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए।

(25) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध कार्यवाही :–

एक अभ्यर्थी जो निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा –

(i) निम्नलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिये समर्थन प्राप्त किया है, अर्थात् :

(क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, या

(ख) अनुचित दबाव डालना, या

(ग) परीक्षा आयोजित करने से संबधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना, अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर पत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हों, अथवा

(iii) प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति को परीक्षा दिलायी हो अथवा कूटरचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा

(iv) जाली प्रमाणपत्र या ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, अर्थात् :

(क) गलत तरीके से प्रश्न–पत्र की प्रति प्राप्त करना,

(ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करना,

(ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या

(viii) उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो, या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसी ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा

(x) परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान फोटो कैमरा, स्कैनर पेन, मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रोनिक उपकरण या यंत्र अथवा संचार यंत्र के रूप में प्रयोग किए जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या

(xii) परीक्षा की अनुमति देते हुए उम्मीदवारों को भेजे गये प्रमाण–पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा

(xiii) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या तो करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रॉसीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे–

(क) आयोग द्वारा किसी उम्मीदवार को उस परीक्षा के लिये अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा

(ख) उसे स्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए

1– आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है।

2– राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है।

(ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरूद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है, किन्तु शर्त यह है कि इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक :

1– उम्मीदवार को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वह देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर न दिया गया हो और

2– उम्मीदवार द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार न कर लिया गया हो।

(xiv) अभ्यर्थी ध्यान दें कि आवेदन पत्र भरते समय न तो कोई असत्य विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपायें। अभ्यर्थी अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया जाली प्रलेख प्रस्तुत करें अन्यथा परीक्षा के किसी भी स्तर पर आयोग द्वारा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा नियमानुसार (विधिक) अनुशासनिक कार्यवाही भी की जायेगी।

(26) आयोग से किए जाने वाले सभी पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(27) यदि पते में कोई परिवर्तन होता है तो उसे तत्परता से आयोग को रजिस्टर्ड डाक द्वारा सूचित किया जाना चाहिए।

(28) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जाँच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(29) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जाएंगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट www.ukpsc.gov.in का समय–समय पर अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।

(डॉ0 रंजीत कुमार सिन्हा)
सचिव।

परिशिष्ट–1

Syllabus for Assistant Geologist (Scientific Branch)

Syllabus for Assistant Geologist

Number of Question-200 **Maximum Marks : 200**
Time : 3 Hours

(This Syllabus have five parts. 40 questions must be selected from each part)

Part -1

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit- 1- General Geology and Geomorphology: Origin, age and interior of the earth; Fundamental principles of Geomorphology; Cycle of erosion; Landscape evolution; Weathering and soil formation; Glacial, aeolian, fluvial, lacustrine, coastal, Karst and volcanic landforms; Ocean bottom topography; Drainage development and slope morphology; Landforms of Himalaya.

Unit- 2- Crystallography and Mineralogy : Fundamentals of mineral Chemisty; Ionic Radii; Co-ordination number and bonding forces; Symmetry elements; Repetition theory; Hermann-Mauguin symbols; Plane lattice; unit cells; Bravais lattices and space groups; Crystal forms; Symmetry classes and crystal systems; Crystal structure; Polymorphism; Isomorphism; Physical, chemical and optical properties of minerals; Crystal defects and Crystal imperfections; Gems and semi-precious stones; Important Carbonate, Halide, Hydroxide, Native element, Oxide, Phosphate, Silicate and Sulfide groups of minerals; Defferent types of crystal projections-Spherical and Stereographic; Twinning and twinning laws; Common types of twins and their examples.

Unit- 3- Structural Geology : Concept and measurement of stress and strain; Strain and stress ellipsoids; Classification and mechanics of folds, faults/thrust, joints, lineation and foliation; Unconformities; Boudins; Structural behaviour of igneous rocks; Diapers and salt domes; Introduction to petrofabrics.

<u>Unit- 4-</u> Global Tectonics : Structural control in basin development; Orogeny and epiorogeny; Rift valleys and grabens; Isostasy; Island arcs; Shields and cratons; Continental drift; Sea floor spreading; Plate tectonics; Geomagnetism and palaomagnetism; Neotectonics and active tectonics; Tectonic geomorphology; Structure, tectonics and origin of the Himalaya.

<u>Part -2</u>

Number of Question: 40 **Marks: 40**

<u>Unit- 1-</u> General Palaeontology and Palaeobotany: Origin of life; Organic evolution, migration, dispersal and extinction; Early Precambrian life; Ediacaran fossil assemblage; Stromatolites; Trace fossils; Types, mode of preservation, significance and nomenclature of fossils; Biotic distribution; Zoogeographic provenance; Morphology, distribution and significace of Godwana flora.

<u>Unit- 2-</u> Invertebrate Palaeontology (I) : Morphology, geological history, brief evolutionary trends and modes of life of Bivalvia, Gastropoda and Cephalopoda.

<u>Unit- 3-</u> Invertebrate Palaeontology (II) : Morphology, geological history, brief evolutionary trends and modes of life of Echinoidea, Cnidaria, Trilobita and Graptolithina.

<u>Unit- 4-</u> Vertebrate Palaeontology and Microfossils : Evolution of Vertebrates; Evolution of man, horse, elephant and mass extinction of Dinosaurs; Siwalik Vertebrate fauna; Study of microfossils with special reference to foraminifera, radiolaria, ostracods, diatoms, conodonts and their applications to palynology, palaeoclimatology and oil exploration.

Part-3

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit- 1- Principles of Stratigraphy : Principle of Stratigraphy; Geological time scale; Stratigraphic correlation; Code of stratigraphic nomenelature; Brief idea about magnetostratigraphy and seismic stratigraphy; Facies concept in stratigraphy; Walther's Law; Palaeogeography and palaeoclimate during different geological periods; Stratigraphic nomenclature and various schemes namely, Lithostratigraphy Magnetostratigraphy and Allostratigraphy.

Unit- 2- Precambrian Stratigraphy: Evolution of Greenstone belts and high-grade metamorphic terrains during Precambrian; Mobile Belts; Unmetamorphosed Proterozoic successions of India, namely Aravalli, Dharwar, Bastar, Singhbhum, Kaladgi, Cuddupah, Vindhyan, Chattisgarh, Kurnool, Bhima, Marwar and Lesser Himalayan sedimentary belts; Precambrian-Cambrian boundary; Global Precambrian events.

Unit- 3- Phanerozoic Stratigraphy- I (Palaeozoic and Mesozoic): Palaeogeography and important events of the Palaeozoic Era; Permian – Triassic boundary; Marine Triassic sequences of the Himalaya; Gondwana Supergroup; Global events of Jurassic and Cretaceous periods; Jurassic successions of western India; Cretaceous successions of Cauvery basin and Narmada valley; Cretaceous-Tertiary (KT) boundary; Deccan Volcanics and associated sedimentary beds (Infra and Inter Trappean).

Unit- 4- Phanerozoic Stratigraphy- II (Cenozoic and Quaternary) : Palaeogene and Neogene global events and successions in India; Neogene-Quaternary boundary; Evolution of the Indo-Gangetic Plain; Quaternary time and its significance; Climatic cycles during Quaternary; Milankovitch cycles; Terminal Pleistocene-Holocene climatic and sea level changes.

Part-4

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit- 1- Igneous petrology: Magmatic differentiation- mechanism and effects; Magmatic crystallisation- Bowen's reaction principle; Crystallisation of bi-component magma; Ternary magma (Ab-An-Di system and An-Di-Fo, system; Gibb's phase rule- defination of phase, component and degree of freedom; Application of phase rule in bi-component and tri-component magma; Texture and structures of igneous rocks; Classification of igneous rocks (only IUGS); Granite and other granitoid rocks and ophiolite; Petrological characters of common rock association; Variation diagrams; Magma generation in the crust and mantle; Differentiation of Magmas; Layered basic Intrusives; Petrogenesis and petrography of Granites, Kimberlites, Komatiites, Carbonatites, Aplite, Anorthosite, Andesite, Basalt, Charnockite, Diorite, Dunite, Dacite, Doletite, Gabbro, Granodiorite, Lamprophyre, Monzonite, Pegmatite, Phonolite, Peridotite, Syenite, Trachyte, Tephrite, Tonalite.

Unit - 2- Sedimentary petrology / Sedimentology : Sediment characteristics and their analysis; Concept of flow regime and bedforms; Principles of facies analysis; Transgressions – Regressions; Principles of sequence stratigraphy; Facies models and depositional sequences of fluvial, delta, tidal-flats and deep-sea regions; Classification of major sedimentary rocks; Diagenesis of sandstones and carbonates; Principles of basin analysis; Sedimentary basins of India; Important Sedimentary structures; Petrogenesis and petrography of the rock types, namely Argillite, Arkose, Breccia, Chert, Claystone, Conglomerate, Dolomite, Evaporite, Greywacke, Limestone, Marl, Mudstone, Sandstone.

Unit- 3- Metamorphic petrology and Geochemistry : Elementary concepts of thermodynamics: Entropy, Enthalpy, Gibb's Free Energy, Activity, Fugacity, Equilibrium constant; Laws of thermodynamics; Application of Trace and Rare Earth Elements (REE) in Petrogenesis; Use of Stable isotopes of Oxygen, Hydrogen, Carbon, Sulphur and Strontium; Factors controlling metamorphism;

Textures and structures of Metamorphic rocks; Basic concept of P-T-t paths; Concept of metamorphic facies; Metamorphic grades and index minerals; Regional metamorphism in relation to Plate tectonics; Metasomatism and metamorphic differentiation; Petrogenesis of granulites and Eclogites; Origin and structure of migmatites; ACF and AKF diagrams; Inverted metamorphism of Himalaya and Himalayan metamorphism; Petrogenesis and petrography of the rock types, namely-Amphibolite, Blueschist, Eclogite, Gneiss, Granulite, Greenschist, Hornfels, Marble, Migmatite, Mylonite, Phyllite, Quarzite, Schist, serpentinite, Khonadalite, Gondite; Abundance of elements in the Cosmos and Earth; Geochemical differentiation of the earth; Goldschmidt's geochemical classification of elements; Geochemical cycle; Principles of ionic substitution in minerals; Distribution coefficient.

Unit - 4- **Economic mineral Deposits and Energy resources :** Controls of ore localization; Magmatic deposits: Chromium and Platinum Group of element (PGE) deposits; Hydrothermal deposits; Porphyry; Copper deposits and Gold in Archaean and Proterozoic terrains; Placer deposits; Ores related to weathering processes: Bauxite and Laterite; Sediment hosted Copper, Lead–Zinc deposits; Iron and Manganese ores of sedimentary affiliation; Origin of Manganese nodules; Generation of Hydrocarbons; Migration of hydrocarbons; Structural, Stratigraphic and combination traps; Reservoir characteristics; Gas hydrates; Coal Bed Methane; Shale Gas; Hydrocarbon occurrences of Assam, Cambay, Bombay High and Krishna-Godavari areas; Origin and Distribution of Coal deposits of India; Atomic Minerals in India; Geothermal Energy resources of India.

Unit - 5- **Mineral Exploration and Geophysics :** Methods of mineral prospecting: Geological, Geochemical and Geobotanical; Methods of sampling; Assaying and evaluation of mineral deposits; Classification of mining methods; Open Cast mining; Underground mining; Ore-dressing; National Mineral Policy; Densities of Rocks and Gravity Anomalies; Magnetism: Geomagnetism and

Palaeomagnetism; Electrical Properties and Resistivity surveying; Vertical Electrical Sounding (VES); Electrical Imaging; Magnetotelluric Surveying (MT), Seismic Prospecting.

Part-5

Number of Question: 40 **Marks: 40**

Unit - 1- Engineering Geology and Remote Sensing : Engineering properties of rocks; Rock mass classification; Behaviour of rock on application of stresses; Mohr's failure criteria; Tunnels: their type; Stress conditions in tunnels; Site selection for tunnel excavation and support; Earthquake resistant structures; Dams and their types; Geotechnical problems associated with bridges and dams; Site selection for dam construction; Case studies of Indian dams: Bhakra, Tehri, and Idduki Dams; Site selection for the construction of roads and bridges in hilly terrains; Landslide classification, causes, preventive methods and landslide hazard zonation maps. Underground excavations: Problems and remedies; Concepts of Photogrammetry; Aerial photographs; Principles of photo and image interpretation: photo elements, geotechnical elements; Interpretation of aerial photographs and satellite imageries related to lithology, structure, mineral and ground water exploration; Fundamental concepts of remote sensing; Electromagnetic spectrum and its interaction with atmosphere and earth surface objects; Atmospheric windows; Platforms; Sensors: active and passive; Sensors on LANDSAT, SPOT and IRS; Digital image processing; Image enhancement and classification; Microwave remote sensing: Principles and uses; Concept of GIS; Data structures in GIS: Spatial, Non-spatial, Raster and Vector; Spatial Data Analysis and Modelling: DEM, TIN, DTM.

Unit - 2- Enviromental Geology : Scope of Environmental Geology; Earth as a System; Ecosystem; Global Biogeochemical cycle; The Gaia hypothesis; Concepts of Environmental Geology; Application of Geology to sustainable development; Geological causes of environmental degradation- lithological,

structural, geomorphological and anthropogenic causes; Soil pollution and desertification; Environmental Impact Assessment (EIA); Eco-Tourism; Sediment pollution and its role in environmental studies; River water pollution; Groundwater pollution; Water quality; Nitrate hazard, Fluorine and Arsenic pollution; Waste Disposal: Management and recycling; Fly-ash; Greenhouse effect, Global warming and related environmental problems; Environmental Protection Law; Types and distribution of natural hazards; Floods, their type and distribution, flood hazard zonation; Tsunamis: causes and distribution; Cylcones in the Indian seas; Landslides: their types; Earthquake: Fundamental Concepts; Seismic zonation map of India; Avalanches.

Unit - 3- Hydrogeology : Hydrological cycle; Occurrence of Groundwater; Genetic classification of water; Darcy’s law; Water-bearing characteristics of rocks; Types and characteristics of Aquifers and springs; Artificial recharging of aquifers; Techniques of Ground water exploration; Saline water intrusion; Types of wells; Ground water regimes of India; Rain water Harvesting.

Unit - 4- Geological Instrumentation and Field Geology: Toposheet study, Satellite Imagery and Aerial Photograph; Total Station; Petrological Microscope; X-ray Diffraction (XRD); Atomic Absorption Spectro-photometer (AAS); Scanning Electron Microscope (SEM), Ground Penetrating Radar (GPR), Global Positioning System (GPS); Induced Couple Plasma Mass Spectro-photometer (ICPMS); Electron Probe Micro Analyser (EPMA); Computer applications in Geology.

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

मुहर :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के लिये प्रमाण–पत्र

(केवल शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4) 26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित् आन्दोलनकारियों के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री . ... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... **शास0 सं0–1270/तीस–2/2004 दिनांक 11 अगस्त, 2004 व शास0 सं0–776/XX(4)26/उ0आ0/2006–08 दिनांक 22 अक्टूबर, 2008 तथा शास0 सं0–637/XX(4)–26/उ0आ0/2006/09 दिनांक 13 अगस्त, 2010 के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित् है।**

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट

उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिये प्रमाण–पत्र
(केवल शास0 सं0–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अधीन अर्ह सेवायोजन हेतु चिन्हित्
आन्दोलनकारियों के एक आश्रित के लिए)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ... . नगर .... जिला **शास0 सं0–4020/XX(4)–7/उ0आन्दो0/2006 दिनांक 08 नवम्बर, 2006 के अनुसार 07 दिन से अधिक अवधि तक जेल जाने वाले उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी श्री... ....पुत्र श्री..के एक आश्रित हैं।**

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम ....
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट

विकलांगों के लिए प्रमाण–पत्र

(शासनादेश सं0 196 / XVII –2 / 2011–29(स0क0) / 2003 दिनांक 25 मार्च 2011 के अनुसार)

OFFICE OF THE CHIEF MEDICAL OFFICER................................

No...

Dated......................................

HANDICAP CERTIFICATE IN ACCORDANCE WITH THE G.O. N0.

7 /4/1971 KARMIK-2 (U.P.) DATED MAY 20, 1978

We Examined Sri / Smt./ Km/ ....aged about.................years....................on of / Daughter of / Wife of..................resident of ....whose Signature/ L.T.I./ R.T.I., is given below and certify that he/she is a case of ....

We certify that he/she is permanently physically handicapped person .

Orthopaedic surgeon (Member)
Eye Specialist (Member)
Signature of Candidate Chief Medical Officer (President)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर ....
पूरा नाम...................................
पदनाम ....
मुहर ....
जिलाधिकारी ....
(सील) ....

कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या–22/21/1983–कार्मिक–2 दिनांक 28 नवम्बर,1986
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र के फार्म–1 से 4

फार्म–1

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने देश की ओर से अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
सम्बन्धित खेल की राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन का नाम ....राज्य सरकार की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के लिए कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री .... से दिनांक .... (स्थान का नाम) में आयोजित ....क्रीड़ा/ खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में देश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूनामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र राष्ट्रीय फेडरेशन/राष्ट्रीय एसोसिएशन/(यहाँ संस्था का नाम दिया जाये).

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पद ....
संस्था का नाम ....
....
मुहर ....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र नेशनल फेडरेशन/नेशनल एसोसिएशन के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–2

(मान्यता प्राप्त कीड़ा/खेल में अपने प्रदेश की ओर से राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
(सम्बन्धित खेल की प्रदेशीय एसोसिएशन का नाम) .... राज्य सरकार की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिए प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... आत्मज/पत्नी/आत्मज श्री .... निवासी ....(पूरा पता) .... ने दिनांक.................................... से दिनांक .... तक .... (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता (टूर्नामेन्ट का स्थान) .... आयोजित राष्ट्रीय .... में (क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) की प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में प्रदेश की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में .... स्थान प्राप्त किया गया। यह प्रमाण–पत्र ....(प्रदेशीय संघ का नाम) में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान : हस्ताक्षर ....
दिनांक : पद ....
संस्था का नाम ....
....
मुहर ....

नोटः– यह प्रमाण–पत्र प्रदेशीय खेलकूद संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से किये गये हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–3

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने विश्वविद्यालय की और से अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)

विश्वविद्यालय का नाम..राज्य स्तर की सेवाओं/पदों पर नियुक्ति के कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण–पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री...निवासी (पूरा पता)...विश्वविद्यालय की कक्षा ....(स्थान का नाम) में आयोजित अखिल भारतीय अन्तर्विश्वविद्यालय ....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में विश्वविद्यालय की ओर से भाग लिया। उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान/मेडल प्राप्त किया गया। यह प्रमाण पत्र डीन ऑफ स्पोर्ट्स अथवा इंचार्ज खेलकूद ....विश्वविद्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया।

स्थान...
दिनांक ....

हस्ताक्षर...
नाम..
पद नाम ....
संस्था का नाम...
मुहर ....

नोट :– यह प्रमाण–पत्र विश्वविद्यालय के डीन आफ स्पोर्ट्स या इंचार्ज खेलकूद द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

फार्म–4

(मान्यता प्राप्त क्रीड़ा/खेल में अपने स्कूल की ओर से राष्ट्रीय खेलकूद में भाग लेने वाले खिलाड़ी के लिये)
डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/निदेशक, शिक्षा उत्तराखण्ड ....राज्य स्तर की सेवाओं पर नियुक्ति के लिये कुशल खिलाड़ियों के लिये प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....आत्मज/पत्नी/आत्मजा श्री ....निवासी (पूरा पता)..में ....स्कूल में कक्षा...(स्थान का नाम) में आयोजित स्कूलों के नेशनल गेम्स की ....(क्रीड़ा/खेलकूद का नाम) प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्कूल की ओर से भाग लिया।

उनके टीम के द्वारा उक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेन्ट में ....स्थान प्राप्त किया। यह प्रमाण पत्र डाइरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर दिया गया है।

स्थान...
दिनांक ....

हस्ताक्षर...
नाम...
पद नाम ....
संस्था का नाम...
मुहर ....

<u>नोटः–</u> यह प्रमाण पत्र निदेशक/या अतिरिक्त/संयुक्त या उप निदेशक डाईरेक्ट्रेट ऑफ पब्लिक इन्स्ट्रक्शन/शिक्षा द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर मान्य होगा।

''परिशिष्ट–3''

FORMAT

Experience Certificate

Logo of Office (If available)

Name of Deptt./Office :...

Address of Deptt./Office :...

Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust : ....

Telephone No. :..

Website :...

Dated : ....

Ref. No. -

This is certify that Shri/Smt./Km. .... Son/Daughter/Husband of Shri.. is an employee of this Department/Organization/Company/Firm/Society/Institution/Trust and duties performed by him during the period(s) are as under :

Name of post held	From dd/mm/yy	To dd/mm/yy	Total Period dd/mm/yy	Nature of appointment (Permanent-Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)	Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical /Administration/Academic or any other experience.	Pay scale and last salary drawn	Duties performed/experience gained in brief in each post (Please give details, if need be, in attached sheet)	Place of posting	Worked at supervisory level/middle management level/head of branch or others
01	**02**	**03**	**04**	**05**	**06**	**07**	**08**	**09**	**10**

It is also certify that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company /Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :

Place :

Name & Signature of Candidate :

Sign ....

(Name & Signature of Authorized Signatory in Capital Letters)

Designation with seal